20 रुपये भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA Rs.5

88

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /पुनर्विलोकन/2015 डिण्डोरी

रिव्यू-2381-I-15

गुलाब सिंह पुत्र श्री देवसिंह गौड़
निवासी-ग्राम ग्वारा, थाना-शाहपुर,
तहसील/जिला-डिण्डोरी (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

1. रामहुआ सिंह पुत्र श्री चौधर सिंह गौड़
2. रामपत सिंह पुत्र श्री देव सिंह गौड़ (मृत) जगत सिंह s/o रामपत सिंह

निवासीगण-ग्राम-ग्वारा, थाना-शाहपुर,
तहसील/जिला-ग्वालियर

..... अनावेदकगण

पुनर्विलोकन आवेदनपत्र धारा 51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश सदस्य श्री एम.के.सिंह के प्र. क्र. निगरानी/1193/एक/2001 देव सिंह बनाम सम्हुआ आदेश दिनांक 28-03-2014 जिसकी जानकारी कभी नहीं दी, न हुई नकल प्राप्ति दिनांक 23-07-2015 को पारित

(गुलाब सिंह)

श्रीमान् जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

यह कि, विवादित आराजी पुनर्विलोकनकर्ता के पिता देवी सिंह गौड़ की थी जिसे अनावेदक क्र.1 ने गलत तरह से नामांतरण पंजी में नाम इन्द्राज करा लिया जिसके विरुद्ध फिर एस.डी.ओ. ने फिर देवी सिंह के पक्ष में आदेश पारित करते हुये रिमाण्ड किया फिर रिमाण्ड में भी तहसील न्यायालय एस.डी.ओ. ने फिर पुनर्विलोकनकर्ता के पक्ष में आदेश पारित किया, के विरुद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त रीवा के यहां अपील पेश की जो पुनर्विलोकन के विरुद्ध आदेश पारित किया, के विरुद्ध पुनर्विलोकनकर्ता ने बोर्ड में निगरानी पेश की जो दिनांक 28-03-2014 को खारिज की, के विरुद्ध यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र निम्न प्रकार पेश है :-

पुनर्विलोकन के आधार :-

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 2381–एक/15 जिला -- डिण्डोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एव अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक निग0 1193–एक/01 में पारित आदेश दिनांक 28–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2-- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेष पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2-- अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3-- कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	